NRI investment in Gujarat

3124. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any investment has been made by NRI Groups for setting up of industries on a large scale in Gujarat; and

(b) if so, the details of the amount spent so far, industry-wise and sector-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) According to the New Industrial Policy announced in July, 1991, entrepreneurs are not required to obtain an Industrial Licence except for a short list of 16 industries for setting up of industries. They are required to file only an Information Memorandum for all delicensed sectors etc. Applications from NRIs and oher external investors for setting up industries requiring compulsory licensing are considered on merit by the Governmen in accordance with the policy in force. NRIs and OCBs predominantly owned by them have been permitted to invest upto 100 per cent foreign equity in high priority and other industries with full benefits of repatriation of capital invested and income accruing therefrom subject to certain conditions. Since the announcement of New Industrial Policy, Government have accorded 42 approvals for NRI investment of about Rs. 33586.30 lakhs till February, 1994, for setting up of industries in Gujarat in various sectors viz. Textile, Hotel, Newsprint, Granite, Petroleum; etc.

The actual implementation of the projects is monitored by the State Government.

विदेशी कम्पनियों द्वारा पौधों का पेटेंटीकरण

3125. **श्रीमती सरला माहेश्वरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दवा बनाने के काम आने वाली नीम, हल्दी और अदरक की तरह के पौधों का विदेशी कम्पनियों द्वारा पेंटेंटीकरण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) इस प्रकार के दवा बनाने के काम में आने वाले कितने पौधों का विदेशों में पेटेंटीकरण किया जा चुका है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) नीम, हल्दी और अदरक के पौधों के लिये कोई पेटेंट मंजूर नहीं किया गया है, क्योंकि पेटेंट अधिनियम, 1970 के अधीन इसकी अनुमति नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पेटेंट महानियंत्रक के कार्यालय में उपलब्ध आंकड़ाआधार के अनुसार, विदेशों में नीम, हल्दी तथा अदरक के पौधों के लिये किसी पेटेंट के मंजूर किये जाने की सूचना नहीं है ।

बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को लघु उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देना

3126. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **प्रधान मंत्री** 3 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1389 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करने के संदर्भ में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों से आवेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाइसेंस जारी किये गये हैं उनके ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है ।